शशि थरूर: OCI की स्थिति और दोहरी नागरिकता की बहस (12 नवंबर 2026)



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

12 नवंबर 2026: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) की स्थिति पर सवाल उठाते हुए भारत के लिए दोहरी नागरिकता (ड्युअल सिटिज़नशिप) की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। उनका लेख अभिनेता इमरान खान को जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस के विवाद के बाद आया है - इमरान जन्म से अमेरिकी नागरिक और OCI कार्ड धारक हैं, उन्हें मुंबई में एक सार्वजनिक राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने पर देश छोड़ने को कहा गया, क्योंकि विदेशी नागरिक भारतीय धरती पर राजनीतिक आंदोलन या विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकता। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्हें 7 दिसंबर तक भारत छोड़ने की अवधि मिली है।

मुद्दा क्या है: कानून बनाम पहचान

- थरूर का तर्क है कि इमरान खान जीवन का अधिकांश हिस्सा भारत में रहे - यहीं बड़े हुए, करियर बनाया, कर चुकाए और उनके सामाजिक-पारिवारिक संबंध भी यहीं हैं, फिर भी कानूनन वे विदेशी हैं।
- भारतीय सिनेमा के कई प्रमुख चेहरे विदेशी पासपोर्ट धारक हैं - आलिया भट्ट (ब्रिटिश), कैटरीना कैफ (ब्रिटिश), कल्की केकलाँ (फ्रांसीसी), दिलजीत दोसांझ (अमेरिकी) आदि; अक्षय कुमार ने कई वर्षों बाद कनाडाई नागरिकता छोड़ी थी।
- विरोधास्पद स्थिति: भारत में विदेशी नागरिक चुनाव में उम्मीदवारों के लिए **प्रचार कर सकता है**, लेकिन उम्मीदवार या पार्टी को आर्थिक योगदान नहीं दे सकता और औपचारिक सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता।

संवैधानिक और कानूनी स्थिति

अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सम्मेलन) के अधिकार संवैधानिक रूप से केवल **भारतीय नागरिकों** को ही सुरक्षित हैं। विदेशी नागरिक काम कर सकता है, उद्यम चला सकता है, ब्रांड का समर्थन कर सकता है और चुनावी प्रचार के माध्यम से राजनीतिक पसंद व्यक्त कर सकता है, लेकिन विरोध-प्रदर्शन में भाग लेना या मतदान करना कानूनी सीमा के बाहर है। भारत का

नागरिकता अधिनियम, 1955 दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता - विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है (धारा 9)।

OCI क्या है - और क्या नहीं

- थरूर के अनुसार 'ओवरसीज सिटिज़न ऑफ इंडिया' नाम भ्रामक है - यह नागरिकता नहीं, केवल एक **आजीवन वीज़ा** है, जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता है (आतिश तसीर का मामला इसका उदाहरण है)।
- कुछ वर्षों तक OCI धारकों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति थी, लेकिन यह सुविधा भी वापस ले ली गई।
- विश्वभर में लगभग **3.7 करोड़** भारतीय प्रवासी हैं; जन्मसिद्ध नागरिकता (jus soli - जैसे अमेरिका/कनाडा) या वंशानुक्रम (jus sanguinis) के कारण लाखों लोग एक से अधिक नागरिकता के पात्र हो जाते हैं।
- थरूर ने स्वयं अपने बेटों को अमेरिकी नागरिकता लेने पर भारतीय पासपोर्ट सौंपने के दर्द का जिक्र किया है।

थरूर का प्रस्ताव

थरूर का कहना है कि दोहरी नागरिकता की अनुमति कानूनी स्थिति को लाखों लोगों के जीवन-अनुभव के अनुरूप बना देगी - जो लोग भारत में रहते हैं, काम करते हैं और भारतीयता से जुड़े हैं, उन्हें जन्म, विवाह या अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता से मिले अधिकारों, विरासत या पासपोर्ट का त्याग किए बिना भारतीय नागरिकता रखने की सुविधा मिलेगी। उनका तर्क है कि इससे प्रतिभाशाली लोगों का मानव संसाधन भंडार राष्ट्र को फिर से उपलब्ध होगा।

परिचय: UPSC-PCS परीक्षा की दृष्टि से

- **सिलेबस लिंक:** सामान्य अध्ययन - राज्यव्यवस्था (नागरिकता, अनुच्छेद 5-11, नागरिकता अधिनियम 1955, मौलिक अधिकार), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (प्रवासी भारतीय)।
- **कुंजी:** अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को; अनुच्छेद 14-15 विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध; OCI नागरिकता अधिनियम की धारा 7B के तहत पंजीकृत श्रेणी है, नागरिकता नहीं।

क्विज़: ज्ञान परखें

प्रश्न 1: शशि थरूर का OCI और दोहरी नागरिकता पर लेख किस घटना की पृष्ठभूमि में आया?

(a) आतिश तसीर का OCI रद्द होना
(b) अभिनेता इमरान खान को 'भारत छोड़ो' नोटिस
(c) OCI धारकों के खेल-प्रतिनिधित्व पर रोक
(d) नागरिकता संशोधन अधिनियम की चर्चा

उत्तर और व्याख्या: (b) अमेरिकी नागरिक और OCI धारक इमरान खान को मुंबई में एक सार्वजनिक राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने पर 'भारत छोड़ो' नोटिस दिया गया; विदेशी नागरिक भारत में राजनीतिक आंदोलन नहीं कर सकता।

प्रश्न 2: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं।
II. OCI कार्ड भारत की नागरिकता प्रदान करता है।
कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल I
(b) केवल II

(c) I और II दोनों
(d) न तो I, न II

उत्तर और व्याख्या: (a) कथन I सही है - अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को हैं। कथन II गलत है - OCI नागरिकता नहीं, आजीवन वीज़ा की श्रेणी है, जिसे रद्द किया जा सकता है।

प्रश्न 3: भारत में दोहरी नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है?

(a) संविधान स्पष्ट रूप से दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है
(b) विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है
(c) OCI धारक दोहरे नागरिक होते हैं
(d) भारतीय प्रवासियों को स्वतः दोहरी नागरिकता मिलती है

उत्तर और व्याख्या: (b) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है - भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता।

सम्बंधित अध्ययन:

- पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं: विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण

स्रोत (Sources):

- The Indian Express - Shashi Tharoor writes: For OCIs, law collides with identity; dual citizenship offers way forward